

न्यायालय नं० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

30/18 -- तारीख रज 15/2/18 -- रिपोर्ट पटवारी हल्का गोहड़ा -- बनाम
श्री श्रीशिव शर्मा पुत्र श्रीशिव शर्मा जाति गुजर निवासी सिन्दरपुर तहसील

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 12/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री श्रीशिव शर्मा ने ग्राम सिन्दरपुर को भूमि ख.न. 889/1023 रकबा 0.40 किस्म चरागाह फसल रबि / खसीक संवत् 2074 में सबूत कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 889/1023 रकबा 0.40 किस्म चरागाह वाले ग्राम सिन्दरपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 8.000 का 50 गुणा 400 रु शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल सबूत को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

बायब तहसीलदार
बड़या (बैसा)
तहसीलदार महवा

रजिस्टर म/घ के पेज नं० 112 पर
वर्ष 2017-18 की शक्ति
की जमा 400 रु
दिनांक 12/3/18
लेखाकार
तहसील-महवा